[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख. 29 अगस्त, 2022

सा.का.िन. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के साथ पिठत धारा 2 के खंड (31), धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- 2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में,-
- (क) नियम 16 में, "कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से संपरीक्षित होगी", शब्दों के पश्चात्, "और उस आशय की घोषणा लेखापरीक्षक द्वारा प्ररूप डीपीटी 3 में प्रस्तुत की जाएगी।" शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- (ख) उपाबंध में, प्ररूप डीपीटी 3 और डीपीटी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात:-

"प्ररूप डीपीटी-3

जमा की विवरणी [कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 16 और 16क के अनुसरण में]



प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

प्ररूप भरने के लिए निर्देश देखें के रूप में अंकित स्थानों को भरना अनिवार्य है।

1. *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) _____

कंपनी सूचना

*क्या कंपनी है

*क्या कंपनी सरकारी कंपनी है

4.

5.

2.	(क) *कंपनी का नाम
	(ख) *रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता
	(ग) *ई-मेल आईडी
3.	*प्ररूप का प्रयोजन
	o जमा की विवरणी
	 किसी कंपनी द्वारा संव्यवहारों का विवरण जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम,
	2014 के नियम 2(1)(ग) के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया है।
	० किसी कंपनी द्वारा जमा की विवरणी और संव्यवहारों का विवरण जिसे जमा नहीं माना
	गया है।
	ं कंपनी द्वारा प्रदत्त बकाया धन या ऋण के विवरण का प्रकटीकरण के लिए एकम्शत
	वापसी, लेकिन कंपनी नियम, 2014 के नियम 2 (1) (ग) के अनुसार जमा के रूप में नहीं
	माना जाता है।

0 सार्वजनिक कंपनी 0 निजी कंपनी

o हां o नहीं

		लेक द्वारा जमा को स्वीकृत किया गया?							
٠		अविध जिसके लिए रिटर्न फाइल किया जा रहा है (तारीख/मा	ह/वर्ष)						
		नापन व परिपत्र जारी करने की तारीख (तारीख/माह/वर्ष)							
	(ग) विर	गपन या परिपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीख (तारीख/म की तारीख से पहले लेखापरिक्षित अंतिम तुलन पत्र के अनुर	गह/वर्ष) <u>_</u>						
	विवरणी	गर निवल मूल्य-							
	क्रम सं.	विवरण	रकम (रुपयों में)						
	(क) (i)	प्रदत्त शेयरपूंजी	,						
	(ii)	मुक्त आरक्षितियां							
	(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम लेखा							
	(ख) (i)	संकलित हानि							
	(ii)	स्थगित राजस्व व्यय का शेष							
	(iii)	उपलब्ध न कराया गया कुल अवमूल्यन							
	(iv)	विविध व्यय और प्रारंभिक खर्च							
	(v)	अन्य अमूर्त आस्तियां							
	(ग)	निवल मूल्य (क) - (ख)							
	(ঘ)	जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् निर्दिष्ट आईएफएससी							
		पब्लिक कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर							
		अन्य सभी कंपनियों के मामले में उपर्युक्त का 35%)							
		अप्रैल को जमाधारकों की कुल संख्या							
	(ख) वित्ता	य वर्ष के अंत तक जमा धारकों की कुल संख्या							
	जमा का वि	वरण (रूपयों में)							
)		को वर्तमान जमा रकम							
)	वर्ष के दौ	रान नवीकृत जमा रकम							
)	वर्ष के दौ	रान स्वीकृत नई जमा रकम							
)प्रतिभूत जम								
(i	i)अप्रतिभूतः	जमा							
		रान लौटाई गई जमा रकम							
)		त में बकाया जमा का शेष							
	(क) जमा	रकम जो परिपक्व हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया	गया						
•	the second secon								

किया गया
13. नकद आस्तियों का विवरण
(क) वितीय वर्ष के अंत में परिपक्व होने वाली जमा रकम और आने वाले आगामी वर्ष में परिपक्व होने वाली जमा रकम (ख) नकद आस्तियों में निवेश करने के लिए अपेक्षित राशि (ग) नकद आस्तियों का विवरण (ग)(i) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त चालू या अन्य जमा खाते में राशि
(ii) केंद्रीय/राज्य सरकार की विल्लंगमरहित प्रतिभूतियां मूल्य
प्राक्ष्य मूल्य
बाजार मूल्य
(iii) विल्लंगमरिहित न्यास प्रतिभूतियां
प्राक्ष्य मूल्य
बाजार मूल्य
14. प्रभार का विवरण
(क)प्रभारों की संख्या (ख) सीएचजी-1 / सीएचजी- 9 का एसआरएन प्रभार सृजन के लिए फाइल
15. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) के अनुसार, वितीय वर्ष के अंत में, कंपनी द्वारा उस धन या ऋण की प्राप्ति का विवरण जिसे जमा नहीं माना गया

विवरण		海町:	का विवरण (२	इ. में)		ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण	
	(i)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(vii)	(VIII)	
से प्राप्त कोई भी राशि - (i) केन्द्र सरकार; या (ii) राज्य सरकार; या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई भी राशि जिसकी पुनर्भुगतान केंद्र सरकार या राज्य सरकार (वारा गारंटीकृत है;									
iii) स्थानीय ाधिकरण प्राप्त ोई भी शि; या									

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
(iv) संसद के किसी अधिनयम या राज्य विधान-मंडल के अधीन गठित सांविधिक प्राधिकारी से प्राप्त कोई राशि				(*)				
से प्राप्त कोई भी राशि - (i) विदेशी सरकारें; या					D.			
(ii) विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बैंक;								
(iii) बहुपक्षीय वितीय संस्थाएं;								
(iv) विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली विकास वितीय								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
संस्थाएं;								
(v) विदेशी निर्यात ऋण एजेंसियां;								
(vi) विदेशी सहयोगी;								
(vii) विदेशी निकाय कारपोरेट;								
(viii) विदेशी नागरिक;								
(ix) विदेशी प्राधिकारियों या;								
(x) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के								
अध्यधीन भारत के बाहर के निवासी ज्यक्ति।								

विवरण		ऋण	का विवरण (स	5. में)		ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण	
के रूप में प्राप्त कोई भी राशि - (i) किसी भी बैंकिंग कंपनी से ऋण या सुविधा; या							30		
(ii) भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी सहायक बैंक से; या	¥								
(iii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वैंकिंग संस्थान से;									
iv) बैंकिंग जपनी									

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	785	ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित तदनुरूपी नया बैंक; या								
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ख-ii) में प्रथा प्रिभाषित नहकारी बैंक								

 $|\mathcal{K}|$

विवरण		ऋणः	का विवरण (र	5. में)		75	ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण		
ऋण या वितीय सहायता के रूप में प्राप्त कोई भी राशि से - (i) केन्द्र सरकार द्वारा अधिस्चित सार्वजनिक वितीय संस्थाएं; या										
(ii) कोई भी क्षेत्रीय वेतीय मंस्था; या										
iii) बीमा फंपनियां; या										
iv) भारतीय रेजर्व बैंक मधिनियम, 934 1934 का) में यथा रिभाषित नुसूचित										

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	र. में)		74	ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण		
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या अधिसूचना के अनुसार जारी वाणिज्यिक पत्र या किसी अन्य लिखत जारी करने के खिलाफ प्राप्त कोई										
किसी अन्य कंपनी से कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि।										
किसी भी प्रतिभूति के लिए अंशदान के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त और धारित कोई										

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	5. में)		湘	ण की अवधि (व	र्षों में)
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
जिसमें शेयर आवेदन धन या आवंटन लंबित प्रतिभूतियों के आवंटन की दिशा में अग्रिम शामिल है, जब तक कि ऐसी राशि केवल के लिए आवेदन की गई प्रतिभूतियों के आवंटन पर देय राशि के खिलाफ विनियोजित की जाती है।								
किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई भी राशि, जो राशि की प्राप्ति के समय, कंपनी का निदेशक या किसी निजी कंपनी के								

विवरण			का विवरण (र	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
निदेशक का रिश्तेदार	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
था। (ए) कंपनी की अमूर्त परिसंपतियों को छोड़कर अधिनियम की अनुसूची ॥ में निर्दिष्ट केसी भी संपति पर हिले शुल्क								

विवरण		ऋण व	का विवरण (र	5. में)		74	ण की अवधि (व	कों में।
शेयरों में	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
परिवर्तनीय। गैर- परिवर्तनीय डिबेंचरों के मुद्दे द्वारा जुटाई गई कोई भी पाशि जो कंपनी की गरिसंपतियों गर प्रभार का गठन नहीं करती अौर गरतीय विभूति गैर वेनिमय								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	5. में)		港	ण की अवधि (व	ार्षों में)
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
कंपनी के किसी कर्मचारी से प्राप्त कोई भी राशि जो गैर-ब्याज वाले प्रतिभृति जमा की प्रकृति में कंपनी के साथ रोजगार के अनुबंध के तहत अपने वार्षिक वेतन से अधिक नहीं है।								
किसी भी गैर-ब्याज वाली राशि प्राप्त और ट्रस्ट में रखी गई। कंपनी के व्यवसाय के दौरान या उसके स्योजनों के लेए प्राप्त कोई भी								

विवरण		ऋण	का विवरण (स	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
(i) माल की आपूत के लिए अग्रिम के रूप में या सेवाओं के प्रावधान के लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार है बशर्त कि अग्रिम को माल की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान के खिलाफ ऐसी अग्रिम की स्वीकृति की तारीख से तीन सौ चैंसठ दिनों की अवधि के भीतर विनियोजित किया जाता है।								
ii) किसी समझौते या								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	ं. में)		ऋण की अवधि (वर्षों में)		
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
व्यवस्था के तहत अचल संपति के लिए विचार के संबंध में प्राप्त किसी भी तरीके से जो भी अग्रिम के लिए जिम्मेदार है, बशर्त कि इस तरह की अग्रिम समझौते या व्यवस्था की शर्तों के अनुसार ऐसी संपति के खिलाफ समायोजित की जाती है।								
(iii) माल की आपूत के अनुबंध या सेवाओं के प्रावधान के निष्पादन के लिए प्रतिभूति जमा के रूप			,					

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	5. में)		ऋ	ण की अवधि (व	र्षों में)
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
में।			- AC11				E THE THE	
(iv) कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के नियम (2) के उप- नियम (1) के उप- नियम (1) के तहत कवर किए गए उत्पादों को छोड़कर पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं के तहत								
v) लिखित करार के अनुसार गारंटी अथवा अनुरक्षण								

विवरण		ऋण	का विवरण (स	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
संविदा के रूप में भावी सेवाएं प्रदान करने के लिए विचार करने की दिशा में अग्रिम के रूप में, यदि ऐसी सेवाएं प्रदान करने की अवधि सामान्य व्यवसाय पद्धति के अनुसार प्रचलित आवधि या ऐसी सेवा की तारीख से ता भी कम हो, से अधिक नहीं है।								
(vi) किसी क्षेत्रीय विनियामक द्वारा प्राप्त और अनुमत								

+

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	5. में)		74	ण की अवधि (व	र्षो में)
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
अग्रिम के रूप में या केंद्र या राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार								
(vii) प्रकाशन की ओर अभिदान के लिए अग्रिम के रूप में, चाहे वह प्रिंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक में, ऐसे प्रकाशनों की प्राप्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाना है।								
किसी भी उधार वितीय संस्थान की शर्त के अनुसरण में असुरक्षित मणों के							4	

.

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	ऋण की अवधि (वर्षों में)				
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
माध्यम से कंपनी के प्रमोटरों द्वारा लाई गई कोई भी राशि।	-11							
अधिनियम की धारा 406 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निधि कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी								
चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 4) के तहत चिट के संबंध में सदस्यता के माध्यम से प्राप्त कोई भी राशि।								
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	. में)		ऋण की अवधि (वर्षों में)			
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण	
तैयार किए गए नियमों के अनुपालन में किसी भी साम्हिक निवेश योजना के तहत कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी									
किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा प्राप्त पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक की कोई भी राशि, परिवर्तनीय नोट (इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या जारी करने की तारीख से पांच साल से अधिक नहीं की अवधि									

विवरण		ऋण	का विवरण (स	ō. में)		沸	ण की अवधि (व	र्षों में)
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
क भीतर चुकाने योग्य) के माध्यम से एक ही किश्त में, किसी व्यक्ति से।								
किसी कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि - (i) वैकल्पिक निवेश निधियां;								
(ii) घरेलू उद्यम पूंजी निधियां								4
(iii) अवसंरचना निवेश न्यास;								
(iv) रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट;								
(v) भारतीय प्रतिभूति								

विवरण		ऋण व	का विवरण (स	ं. में)		ऋ	ण की अवधि (व	र्षों में)
	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	कोई अन्य समायोजन	जमा शेष	1 वर्ष से कम या उसके बराबर के लिए बकाया ऋण	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम समय के लिए बकाया ऋण	3 साल से अधिक समय से बकाया ऋण
और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड								

16 क्रांडट रिटेंग प्राप्त की गई:		
(क) से (एजेंसी का नाम)		
(ख) रेटिंग		
(ग) क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने की तिथि (दिन/माह	7/বৰ্ষ)	
17 + जीएनएल फॉर्म का एसआरएन जिसमें डीपीटी -1	फाइल किया गया है	
18 किसी कंपनी द्वारा प्राप्त बकाया धन या ऋण की व कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 जैसा कि नियम 16(ए)(3) में निर्दिष्ट किया गय	के नियम 2(1)(ग) के अनुस	
अनुलग्नक		
(क)ट्रस्ट डीड की कॉपी	अधिकतम 2 MB	फ़ाइल चुनें हिटाना डाउन
(ख) जमाकर्ताओं की सूची (एक्सेल प्रारूप)	अधिकतम 2 MB	फ़ाइल चुनें हटाना डाउ
(ग) वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो।	अधिकतम 2 MB	फ़ाइल चुनें हटाना डाउ
सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा घोषणा		1
मैं एतद्द्वारा विधिवत प्रमाणित करता हूं कि 'जमाराशिय सही है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावध	यों का विवरण' और 'तरल प' गर्नो के अनुरूप है।	रिसंपतियों के ब्यौरे' में निर्दिष्ट राशि
•द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना		डीएससी बॉक्स
		डीएससी बॉक्स
•द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना + नाम · • पदनाम		डीएससी बॉक्स

.

घोषणा	
मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प संख्या + दिनांकित + द्वारा लेखक हूं इस प्रिष्णा करता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताएं और इस आनुषंगिक मामलों के संबंध में इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी इस रूप के अनुलग्नकों सहित सही, सही अनहीं गया है।	किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता
+ द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित किया जा करने के लिए	डीएससी बॉक्स
*पदनाम	
(निदेशक /प्रबंधक/ कंपनी सचिव/ सीएफओ / सीईओ)	
+ निदेशक का डीआईएन या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या सदस्यता का कंपनी सचिव की संख्या	डीआईएन या पैन
*	
	सेव कर जिसा
नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूतों के लिए सजा क	ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो 1 प्रावधान करते हैं।
यह ई-फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा अन् दिए गए शुद्धता के कथन के आधार पर लिया गया है।	पुरक्षित फाइल पर और कंपनी वाई द्वारा
केवल कार्यालय उपयोग के लिए:	
ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
ई-फॉर्म फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
यह ई-फॉर्म एतद्द्वारा अनुमोदित या पंजीकृत है	
इस ई-फॉर्म को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है	
प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर	डीएससी बॉक्स
हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	

प्ररूप सं. डीपीटी-4

प्रपत्र भाषा

ं अंग्रेज़ी

हिंदी

अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान जमाराशियों के संबंध में विवरण [कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में]

फॉर्म भरने के लिए अनुदेश किट देखें * सभी में चिहिनत सभी फ़ील्ड

कंपनी का विवरण			
1 + कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)			
2 (क) + कंपनी का नाम			
(ख) +पंजीकृत कार्यालय का पता			
(ग) + ईमेल आईडी			
3 + क्या कंपनी	🔾 सार्वज	निक कंपनी ()	निजी कंपनी
4 + क्या कंपनी एक सरकारी कंपनी है	0	हाँ	O नहीं
जमा से संबंधी सूचना			
5. इस अधिनियम के प्रारंभ के समय कुल बकाया जमा			
(क)+ राशि (रुपये में)			
(ख) +जमाकर्ताओं की संख्या			
6. कालम 5 पर दिये कुल जमाओं का विवरण निम्नलिखित शीर्ष	के तहत		
विवरण	राशि (रुपये में)		
+ जमा देय है लेकिन भुगतान नहीं किया			
* उस पर देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया			
+ देय जमा लेकिन दावा नहीं किया गया			
+ उस पर देय ब्याज लेकिन दावा नहीं किया गया			
* जमा अभी तक पुनर्भगतान के लिए देय नहीं है			

7. + अगले तीन महीनों में पुनर्भुगतान के लिए देय जमा		
8 + पुनर्भुगतान के लिए देय जमाराशियों के पुनर्भुगतान के लि	ए की गई व्यवस्था	
अनुलग्नक		
(क) + लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र	अधिकतम 2 एमवी	फ़ाइल चुनें ब्राउनलोड
(ख) +जमाकर्ताओं की सूची	अधिकतम 40	फ़ाइल चुनें ह्राम्ना डाउनलोड
(ग) स्वैच्छिक अनुलग्नक - यदि कोई हो तो	अधिकतम 2 एमवी	फ़ाइल चूनें इटाना डाउनलोड
घोषणा		
मैं संकल्प संख्या के माध्यम से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा (दिन/माह/वर्ष) इस फॉर्म कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताएं और इस प्र नियमों और उसके आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया मैं यह भी घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी इस रूप के को छुपाया नहीं गया है. + द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित करने के लिए + पदनाम (निदेशक/प्रबंधक/सीईओ/सीएफओ/कंपनी सचिव)	पर हस्ताक्षर करने और पत्र की विषय वस्तु के है।	यह घोषित करने के लिए कि संबंध में उसके तहत बनाए गए
 निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या डीआईएन या पैन प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ; या कंपनी सचिव की सदस्य 	गता संख्या	
		सेव जमा करें
टिप्पणी: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के क्रमश: झूठे विवरण/प्रमाण पत्र के लिए दण्ड और झूठे साक्ष्यों के		

यह ईएफओआरएम इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

ई-फॉर्म	सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)
ई-फॉर्म	दाखिल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष

" |

[फा.सं.01/8/2013-सीएल-V (भाग- VI)]

भगाज पाण्डेय) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 256(अ), तारीख 31 मार्च 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए थे-

- (1) तारीख 6 जून, 2014 की सा.का.नि. 386(अ);
- (2) तारीख 31 मार्च, 2015 की सा.का.नि. 241(अ);
- (3) तारीख 15 सितंबर, 2015 की सा.का.नि. 695(अ);
- (4) तारीख 29 जून, 2016 की सा.का.नि. 639(अ);
- (5) तारीख 11 मई, 2017 की सा.का.नि. 454(अ);
- (6) तारीख 19 सितंबर, 2017 की सा.का.नि. 1172(अ);
- (7) तारीख 5 जुलाई, 2018 की सा.का.नि. 612(अ);
- (8) तारीख 22 जनवरी, 2019 की सा.का.नि. 42(अ);
- (9) तारीख 30 अप्रैल, 2019 की सा.का.नि. 341(अ);
- (10)तारीख 07 सितंबर, 2020 की सा.का.नि. 548(अ) ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24 August, 2022.

- G.S.R. (E). In exercise of the powers conferred by clause (31) of section 2, section 73 and section 76 read with sub- sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-
- Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014,-
- (a) in rule 16, after the words "auditor of the company", the words, letters and figure "and declaration to that effect shall be submitted by the auditor in Form DPT-3" shall be inserted;
- (b) in the Annexure, for Form DPT-3 and Form DPT-4, the following shall be substituted, namely: -



"Form No. DPT-3

Form language

English

Hindi

Return of deposits

[Pursuant to rule 16 and rule 16A of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

-	tion kit for filing the form		
All fields mar	ked in * are mandatory		
Company Inf	formation		
1 *Corporate	Identity Number (CIN)		
2 (a) *Name	of the Company		
(b) *Regist	ered office address		
(c) *email	id		
3 *Purpose o	of the Form		
Particula Rules, 20 Return of Onetime per rule	of Deposit and particulars of transactions by a company not c e Return for disclosure of details of outstanding money or loa 2(1)(c) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 20	onsidered as deposit n received by a company but not co	
4 *Whether	the company is	-	
5 *Whether	the company is a government company	○ Yes	O No
6 *Objects o	of the company		
7 Whether d	deposits have been accepted from public?	○ Yes	O No
8(a) *Period	for which return is being filed (DD/MM/YYYY)		
(b) Date of is	ssue of advertisement or circular (DD/MM/YYYY)		
(c) Date of e	expiry of validity of advertisement or circular (DD/MM/YYYY)		
9 Net Worth	h as per the latest audited balance sheet preceding the date	of the return-	
SI.No	Particulars	Amount (in Rupees)	
a(i)	Paid up share capital	- 10	

	Particulars	
ii)	Free reserves	
iii)	Securities Premium Account	
b(i)	Accumulated Loss	
(ii)	Balance of deferred revenue expenditure	
(iii)	Accumulated unprovided depreciation	
(iv)	Miscellaneous expense and preliminary expenses	
(v)	Other intangible assets	
С	Net worth (a) – (b)	
d	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in case of all companies other than specified IFSC public companies and private companies)	
10 (a) Total r	number of deposit holders as on 1st April	
(b) Total r	number of deposit holders at the end of financial year	
11 Particular	rs of deposits (In Rupees)	
(a) Amou	unt of existing deposits as at 1st April	
(b) Amou	unt of deposits renewed during the year	
(c) Amou	unt of deposits accepted during the year	
(c)(i) Secu	ared deposits	
(ii) Unsec	ured deposits	
(d) Amo	unt of deposits repaid during the year	
(e) Balar	nce of deposits outstanding at the end of the year	
12 (a) Amo	unt of deposits that have matured but not claimed	
(b) Amo	unt of deposits that have matured and claimed but not pai	d
13 Particul	lars of liquid assets	
(a) Amo	ount of deposits maturing on or before 31st March next ye	ar
and	d following next year	

c) Details of liquid assets	
(c)(i) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, with any scheduled bank	
(ii) Unencumbered securities of Central/State Government	
Face Value	
Market Value	
(iii) Unencumbered trust securities	
Face Value	
Market Value	
4 Particulars of charge	
(a) Number of charges (b) SRN of CHG-1/CHG-9 filed for creation of charge	

15 Particulars of receipt of money or loan by a company but not considered as deposits, at the end of financial year, in terms of clause (c) of sub-rule 1 of rule 2 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014

- 4 4		Detai	ls of loan (ir	Ageing of loan (in Years)				
Particulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(II)	(111)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
		1 2 1762	W		1		1.15	
Any amount received from –								
(i) the Central Government; or			34					
(ii) a State Government; or any amount received from any other source								

		Dotai	ls of loan (ii	INR)			g of Ioan (in Ye	ars)
articulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(111)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
	(1)	(11)	(,,,,			C		
whose repayment is guaranteed by the Central Government or State Government; or								
(iii) any amount received from a local authority; or								
(iv) any amount received from statutory authority constituted under an Act of Parliament or a								
Any amount received from – (i) Foreign Governments; or								
(ii) Foreign or international banks;							,	
(iii) Multilateral financial institutions;								
(iv) Foreign Governments owned development financial institutions;					Ti w			
(v) Foreign export	t							

		Dotai	ls of loan (i	Ageing of loan (in Years)				
	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(111)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
(vi) Foreign		15.A56		20.64				
collaborators;					1	-		
(vii) Foreign body corporates;								
(viii) Foreign citizens;								
(ix) Foreign authorities or;								
(x) Persons residents outside India subject to the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).								
Any amount received as - (i) A loan or facility from any banking company; or								
(ii) From the state Bank of India or any of its subsidiary banks; or								
(iii) From a bankin institution notified by the Central Government unde section 51 of the Banking Regulatio Act, 1949 (10 of 1949); or	d er							

		Dotai	ls of loan (ii	Ageir	g of loan (in Ye	ars)		
articulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
(iv) A corresponding new bank as defined in clause (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or								
(v) From a cooperative bank as defined in clause (b-ii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).								

		Dotai	ls of loan (in	INR)		Ageir	ng of Ioan (in Ye	ars)
Particulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Any amount received as loan or financial assistance from — (i) Public Financial Institutions notified by the Central Government; or								
(ii) Any regional financial institutions; or								
(iii) Insurance companies; or								
(iv) Scheduled Banks as defined in the Reserve Bank of India Act,1934 (2 of 1934).	n	3						
Any amount received against issue of commercial paper or any other instruments issue in accordance with the guidelines or notification issued by the Reserve Bank of India.	d h							
Any amount received by the company from ar other company.	ny							

		Dotai	ls of loan (ir	INR)		Ageing of loan (in Years)				
Particulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years		
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)		
Any amount received and held pursuant to an offer made in accordance with the provisions of the Act towards subscription to any securities including share application money or advance towards allotment of securities pending allotment, so long as such amount is appropriated only against the amount due on allotment of securities applied for.										
Any amount received from a person who, at the time of the receipe of the amount, we a director of the company or the relative of the director of a private company. (A) Any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by a first charge or a charge ranking pari pass with the first	et e									

		Detail	ls of loan (i	n INR)		Ageir	ng of Ioan (in Ye	ars)
articulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	*			(m.0)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
	(1)	(11)	(111)	(IV)	(0)	(**)		
assets referred to in Schedule III of the Act excluding intangible assets of the company; or								
(B) bonds or debentures compulsorily convertible into shares of the company within ten years.		-						
Any amount raised by the issue of non-convertible debentures not constituting a charge on the assets of the company and listed on recognized stock exchange as per applicable regulations made by Securities and Exchange Board of India.								
Any amount received from an employee of the company not exceeding his annual salary under a contract employment with the company in the nature of non-interest bearing security deposit.								

Particulars		Detai	ls of loan (in	n INR)		Ageing of loan (in Years)				
ai ticuidis	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years		
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)		
	(0)	(")	(,							
Any non-interest bearing amount received and held in trust.										
Any amount received in course of, or for the purposes of the business of the company-								5:		
(i) As an advance for supply of goods or provision of services accounted for in any manner whatsoever provided that such advance is appropriated against supply of goods or provision of services within a period of three hundred and sixty-five days from the date of acceptance of such advance.										
(ii) As advance accounted for in any manner whatsoever, received in connection with consideration for immovable property under ar agreement or arrangement,	n									

	7 10	Detai	ls of loan (in	INR)			ig of loan (in Ye	ars)
articulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
						0.00	(VII)	(VIII)
	(1)	(11)	(111)	(IV)	(V)	(VI)	(VIII)	
provided that such advance is adjusted against such property in accordance with the terms of agreement or arrangement.								
(iii) As security deposit for performance of the contract of supply of goods or provision of services.								
(iv) As advance received under long term projects for supply of capital goods except those covered under item (b) of subclause (xii) clause (c) of subrule (1) of rule (2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.								
(v) As an advance towards consideration for providing future services in the form of a warrant or maintenance contract as per								

Particulars	LDO	Detai	ls of loan (ii	n INR)			ng of loan (in Ye	ars)
articulars	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(111)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
written agreement, if the period for providing such services does not exceed the period prevalent as per common business practice or five years, from the date of acceptance of such service whichever is less.								
(vi) As advance received and allowed by any sectoral regulator or in accordance with directions of Central or State Government								
(vii) As an advance for subscription towards publication, whether in print or electronic to be adjusted against receipt of such publications.								
Any amount brought in by promoters of the company by way ounsecured loans in pursuance of the stipulation of any lending financial institution.	ו							

Particulars			ils of loan (i	n INR)		Agei	ng of loan (in Ye	ears)
	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Any amount received by a Nidhi company in accordance with the rules made under section 406 of the Act.								
Any amount ecceived by way of ubscription in espect of chit under the Chit unds Act, 1982(4 of 1982).								
any amount eceived by ompany under ny collective nvestment cheme in ompliance with egulations framed by the Securities and Exchange oard of India.								
any amount of wenty-five lakh upees or more eccived by a tartup company, y way of convertible note convertible into quity shares or epayable within a eriod not exceeding five ears from the ate of issue) in a ingle tranche, com a person.								

Particulars			ils of loan (i				ng of loan (in Ye	ears)
	Opening balance	Additional loan during the year	Repaid during the year	Any other adjustment	Closing balance	Loans outstanding for less than or equal to 1 year	Loans outstanding for more than 1 year and less than 3 years	Loans outstanding for more than 3 years
	(1)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Any amount received by a company from – (i) Alternate Investment Funds;								
(ii) Domestic venture Capital Funds					L.			
(iii) Infrastructure Investments Trusts;							-	
(iv) Real Estate Investment Trusts;				¥.				
(v) Mutual Funds registered with the Securities and Exchange Board of India		ž.						
6 Credit Rating obtain	ned:							
(a). From (Name of	the agency)							
(b) Rating(c) Date of obtaining	ig credit ratir	ng (DD/MM/Y)	YY)					
7 *SRN of GNL form in								
3 Total amounts of ou as deposits in terms as specified in rule 2	of rule 2(1)	oney or loan r	received by a	a company but eptance of Depo	not considences	ered		

Attachments			(4)
(a) Copy of trust deed	Max 2 MB	Choose File	Remove Download
(b) List of depositors (excel format)	Max 2 MB	Choose File	Remove Download
(c) Optional attachment, if any.	Max 2 MB	Choose File	Remove Download
Declaration by Statutory Auditor			
I hereby duly certify that the amount specified in 'Particular of de the relevant provisions of the Companies Act, 2013.	posits' and 'Particular	rs of liquid assets' is co	orrect and in line with
*To be digitally signed by		DSC BOX	
*Name			
*Designation			
*Membership Number/Certificate of Practice Number			
Declaration			
to sign this is form and declarules made thereunder in respect of the subject matter of this for declare that all the information given herein above is true, correct material has been suppressed.	are that all the require	ntal thereto have bee	n complied with I also
*To be digitally signed by		DSC BOX	
*Designation			▼
(Director/Manager/Company Secretory/CFO/ CEO) *DIN of the director OR DIN or PAN of the manager or CEO or CFC	OR membership		
number of the company secretary	on membersing		
		Sa	ve Submit
Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of statement / certificate and punishment for false evidence respec	the Companies Act, 2	2013 which provide fo	or punishment for false
This eForm has been taken on file maintained by the registrar of statement of correctness given by the company.	companies through e	electronic mode and o	on the basis of
For office use only:			

eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)	
This eForm is hereby approved or registered	The second secon
This eForm is hereby rejected	
Digital signature of the authorising officer	DSC BOX
Date of signing (DD/MM/YYYY)	
	ep No. of
	<u>.</u>
	8

Form No. DPT-4

Form language

्रिक् सत्यमेव जयते	Statement regarding deposits existing on the companies (Acceptance Pursuant to rule 20 of the Companies (Acceptance	mencement of the of Deposits) Rules,	Act 2014	Engli	ish	Hindi
Refer instruct	tion kit for filing the form					
All fields mar	ked in * are mandatory					
Particulars of	f the company			¥		
1 *Corporate	Identity Number (CIN)					
2 (a) *Name o	of the company					
(b) *Registe	red office address					
(c) *Email Id						
3 *Whether ti	he company is		0	Public Company	0	Private Company
4 *Whether th	he company is a government company		0	Yes	0	No
(b) *Numbe	nt (in Rs.) er of depositors tal deposits mentioned at 5 above under following	heads				
Particula	ars	Amount (in Rs.)	re g	70 F		
*Deposit	ts due but not paid					
*Interest	t due thereon but not paid					
*Deposit	ts due but not claimed					
*Interest	t due thereon but not claimed					
*Deposit	s not yet due for repayment					
	ne for repayment in next three months nts made for repayment of deposits due for repayme	ent				
Attachments	15)			2		

(a) *Auditor's certificate	Max 2 MB	*Choose File Remove Download
(b) *List of depositors	Max 40 MB	Choose File Remove Download
(c) Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB	Choose File Remove Download
Declaration		
am authorised by the Board of Directors of the Company vide re (DD/MM/YYYY) to sign this for 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject macomplied with.	orm and declare that a	dated * Ill the requirements of the Companies Act, natters incidental thereto have been
I also declare that all the information given herein above is true, on nothing material has been suppressed.	correct, and complete i	including the attachments to this form and
*To be digitally signed by		DSC BOX
*Designation (Director/Manager/CEO/ CFO/Company secretary)		
*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Com	pany secretary	
	*	Save Submit
Note: Attention is drawn to provisions of section 448 and 449 of statement / certificate and punishment for false evidence respective. This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of statement of correctness given by the company.	ctively.	
For office use only:		
eForm Service request number (SRN)		
eForm filing date (DD/MM/YYYY)		

(Manoj Pandey)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended *vide* notification numbers –

- (1) G.S.R. 386(E), dated the 6th June, 2014;
- (2) G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2015;
- (3) G.S.R. 695(E), dated the 15th September, 2015;
- (4) G.S.R. 639(E), dated the 29th June, 2016;
- (5) G.S.R. 454(E), dated the 11th May, 2017;
- (6) G.S.R. 1172(E), dated the 19th September, 2017;
- (7) G.S.R. 612(E), dated the 5th July, 2018;
- (8) G.S.R. 42(E), dated the 22th January, 2019;
- (9) G.S.R. 341 (E), dated the 30th April, 2019;
- (10) G.S.R. 548 (E), dated the 07th September, 2020.